न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 124/16 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00412

उनवान

1. सियाराम
2. रामशंकर

} पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी ग्राम नगला जीवना तहसील व कुम्हेर, भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मान सिंह
2. चरन सिंह
3. केहरी
4. दलवीर
5. चन्द्रवीर

} पिसरान बालाचरन जाति जाट निवासी ग्राम नगल जीवना तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर कुम्हेर दिनांक 28.06.2016 उनवानी मान सिंह बनाम सियाराम मु0न0 35/13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्रीं राजेश सोगरवाल उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 10.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला जीवना तहसील कुम्हेर में वादी एवं प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं वादी एवं प्रतिवादी में आये दिन फसल को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी जाकर, एक पक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में पूर्व से पेशी दिनांक 16.05.2016 नियत थी एवं तत्समय प्रकरण प्रतिवादी संख्या 06 व 07 की तलवी हेतु विचाराधीन था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.05.2016 को कोई अग्रिम पेशी निर्धारित नहीं की एवं सीधे प्रकरण को दिनांक28.06.2016 में राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण में ना तो जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया एवं ना ही कोई साक्ष्य ही ली गयी है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(2) पेज 864 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। राजस्व लोक अदालत कैम्प में आमजन के बीच में पारित हुआ है। राजस्व लोक अदालत राज्य सरकार के आदेशानुसार लगाये जाते हैं जिनकी सूचना आमजन को समाचार पत्र, टेलीवीजन आदि पर दी जाती है। अतः राजस्व लोक अदालत के लिये पक्षकारो को पृथक से सूचना दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नियमानुसार राजस्व लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने केवल मात्र तकनीकी आपत्तियो पर बहस की गयी है। यह नहीं बताया कि प्राथमिक डिक्री किस प्रकार गलत है एवं उनको अपीलाधीन निर्णय से किस प्रकार हानि है। अपीलाण्ट ने केवल प्रकरण को देरीना करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 15.03.2016 को अग्रिम पेशी दिनांक 16.05.2016 वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी थी। दिनांक 16.05.2016 को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट नहीं होता है और सीधे ही प्रकरण दिनांक 28.06.

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2016 को राजस्व लोक अदालत में रखकर, प्रतिवादी अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। कैम्प कोर्ट में प्रकरण रखे जाने हेतु प्रतिवादी अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी किया गया हो। ऐसा भी कोई तामील शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.06.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.12.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 10.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

10/11/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर